

जो हो गया। ऐसी रकम के बीएसएफ परिवार में 30 हजार से अधिक लोगों ने 11 लाख के लक्ष्य पर 12.73 लाख से अधिक रकम दिए। यह आंकड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में सेटेलाइट ऑडिट के बाद जारी किया। गिनीज बुक की टीम भौतिक जांच कर गुरुवार को ऑडिट ऑफ जारी कर दी है।

आम सूचना

जो भी पत्रकार सभी जिलामध्य आवास श्री... 124, गालगला... जबलपुर... को... 3,00,000/-... 4019/2016... 07/2024... (अधिवक्ता) 415, वृंदावन गली, दीक्षितपुरा, जबलपुर मो.9425861927

सूची के मुताबिक... प्रचार देने के लिए काफी संघन किया गया है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय गणित को देखते हुए नाम तय किए गए हैं। साथ ही मंत्रियों के अब तक के परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया गया है।

आम सूचना

यह आम सूचना जनहित में मेरे पक्षकार स्त्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया) सोसाइटी द्वारा जारी की जा रही है। इस सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय- 121 प्रथम तल, डी.एल.एफ गलेरिया, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली तथा प्रशासनिक कार्यालय वाता बी ब्लॉक, आरोग्य धाम महर्षि नगर, जिला गीतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 201304 है। इस सोसाइटी के महासचिव श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। स्त्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया) सोसाइटी के स्वामित्व की भूमि जिला- जबलपुर, कटनी, मध्य प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित है। इस भूमि को फर्जी एवं अवैध अधिकार पत्रों के आधार पर जी.आर. चन्द्रमोहन इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा अवैध एवं फर्जी कागजातों के आधार पर विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी.आर. चन्द्रमोहन के विरुद्ध थाना बरगी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में एफ.आई.आर. पुलिस द्वारा दर्ज की गयी है। इसी व्यक्ति के विरुद्ध जिला- विलासपुर एवं बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़), जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) एवं नौएछ, जिला- गीतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) में भी एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। जी.आर. चन्द्रमोहन को तथा इन जमीनों को खरीदने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है तथा इन्हें पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि उपरोक्त भूमि का क्रय-विक्रय किया जाता है तो सोसाइटी की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा जमीनों के क्रय-विक्रय में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संजय कुमार चौबे (अधिवक्ता)
415, वृंदावन गली, दीक्षितपुरा,
जबलपुर मो.9425861927

एम.पी. स्टेट एजो इन्डस्ट्री
1114/ए
क्र./आरएम/जबल/60/15/105

किराये पर वाहन

कार्यालयीन कार्य हेतु किराये पर वाहन
रु. 10000.00 के साथ ऑन लाईन निविदापत्र में विहित अवधि पूर्ण प्रस्ताव संकल्प एवं एलिक के साथ आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी वेब साईट पर उपलब्ध है। प्रस्ताव से ही टेंडरबंद किये जा सकेंगे तथा कस्टोडियन के साथ प्रस्ताव/परिष्कारित न करते हुए केवल उपरोक्त पते

कार्यालय केन्द्र (सर्वी)
पुलिस वी.आई.एच.वाट,
फोन नम्बर 07782-231132
क्रमांक/ 1071/वि.सि.के/आईईटी/2

विज्ञापित

समग्र शिक्षा अधिष्ठापन समिति
आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा
सीटर बालक छात्रावास संघर्षा
संस्थाओं से प्रस्ताव दिनांक 10
आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञापन
दिनांक 25/07/2024 सप् 05
आवेदन प्रारूप एवं शर्तें कार्यालयी

हमला

संजय कुमार चौबे
हैं कि वह
बल
था।
रजेश
कर वह
था ने

सिंहरी
अनुकर
ती है,
र मर दी।
हो रिर
दी कर
थिया।

यहाँ महिला का इलाज शुरू हो सका है।

संबंधी लाभ प्रदान किए जाएँ।

आम सूचना

यह आम सूचना जनहित में मेरे पक्षकार स्त्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया) सोसाइटी द्वारा जारी की जा रही है। इस सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय- 121 प्रथम तल, डी.एल.एफ गलेरिया, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली तथा प्रशासनिक कार्यालय वाता बी ब्लॉक, आरोग्य घाम महर्षि नगर, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ.प्र. 201304 है। इस सोसाइटी के महासचिव श्री अजय प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। स्त्रीच्युअल रीजनरेशन मूवमेन्ट फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया (एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया) सोसाइटी के स्वामित्व की भूमि जिला- जबलपुर, कटनी, मध्य प्रदेश तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित है। इस भूमि को फर्जी एवं अवैध अधिकार पत्रों के आधार पर जी.आर. चन्द्रमोहन इत्यादि व्यक्तियों के द्वारा अवैध एवं फर्जी कागजातों के आधार पर विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी.आर. चन्द्रमोहन के विरुद्ध थाना बरगी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में एफ.आई.आर. पुलिस द्वारा दर्ज की गयी है। इसी व्यक्ति के विरुद्ध जिला- विलासपुर एवं बलौदा बाजार (छत्तीसगढ़), जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) एवं नौएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.) में भी एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है। जी.आर. चन्द्रमोहन को तथा इन जमीनों को खरीदने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है तथा इन्हें पुलिस के द्वारा खोजा जा रहा है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि उपरोक्त भूमि का क्रय-विक्रय किया जाता है तो सोसाइटी की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा जमीनों के क्रय-विक्रय में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके वह स्वयं जिम्मेदार होंगे।

संजय कुमार चौबे (अधिवक्ता)

415, वृंदावन गली, दीक्षितपुरा, जबलपुर मो.9425861927

एस.आर.एम. फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया सोसायटी की अधिकृत वेबसाइट www.srmfoundation.in
ईमेल mict@maharishi.net.

NARMADA

